

क्रमांक/361/188/आउशि/योजना/2021
प्रति

भोपाल, दिनांक 28/04/2021

प्राचार्य,
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिधिया साईस महाविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत आत्मनिर्भर इन्टीकेट- 16.5 अनुसार सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1073 के प्रावधान 26 (1) पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स 6 माह एवं डिप्लोमा कोर्स एवं वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2021-22 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

<ol style="list-style-type: none">1. सर्टिफिकेट इन फूड एडल्टरेशन2. सर्टिफिकेट इन वाटर क्वालिटी एसेसमेंट3. सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रुमेंशन टेक्नालॉजी4. सर्टिफिकेट इन मेडिकल रि-प्रेजेन्टेटिव5. सर्टिफिकेट इन मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी6. सर्टिफिकेट इन हरबल एड इम्युनिटी बूस्टर फूड प्रोडक्ट्स7. सर्टिफिकेट इन पॉलिस्ड डायमंड ग्रेडिंग8. मास्टर्स इन डायमंड9. जेम्स जुनियर10. सर्टिफिकेट इन अमेटर रेडियो एंड डिजिटल कम्युनिकेशन11. सर्टिफिकेट इन मशरूम कल्टीवेशन12. सर्टिफिकेट इन बायोइंफरमेटिक्स13. सर्टिफिकेट इन फोटो जर्नलिज्म14. सर्टिफिकेट इन रिपेयरिंग एंड मैन्टेनेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट15. सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन (हेमेटोलॉजी)	<ol style="list-style-type: none">1. डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नालॉजी2. डिप्लोमा इन वी-कीपिंग एंड हनी फिल्ट्रेशन3. डिप्लोमा इन बायोइंफरमेटिक्स4. पीजी डिप्लोमा कोर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हेल्थ5. डिप्लोमा इन हर्बल मेडिसिन एंड हेल्थ केयर6. डिप्लोमा फॉर सेक्युरिटी गार्ड
<ol style="list-style-type: none">1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जाये।4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये।5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाये।6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये।7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये।	
<ol style="list-style-type: none">1. वर्ष 2021-22 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।3. म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये।4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।5. यह अनुमति प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24 (X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती है।6. पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय महाविद्यालय द्वारा संचालित जनभागीदारी समिति की वित्तीय निधि से वहन करना सुनिश्चित किया जाए।	

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)



An IQAC Initiative

Email.Id- hegascgwa@mp.gov.in
sci.naac21@gmail.com

कार्यालय प्राचार्य श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर

No. Q-011

Dated: 11.01.2022

24.02.22

To
The Chief Medical Health officer (CHMO)
District Government Hospital, Morar
Gwalior (MP)

Subject: **Permission Letter/ Memorandum of Understanding (MoU) for Department of Paramedical Sciences DMLT/ BMLT/ MLT etc. Courses**


Ref.:- Office of commissioner higher education, MP Bhopal Letter No.361/168/CHE/Yojna/2021 of dated 28/04/2021


Sir,



With the above ref. and subject our institution is starting paramedical courses viz., Diploma Medical Laboratory Technology/ Technician (DMLT – permission received), Bachelor Medical Laboratory Technology/ Technician (BMLT – Permission awaited) etc., under newly started Department of Paramedical Sciences as per the approval received from the government. An own hospital or permission letter of CHMO/ MoU with a 100 bed government district hospital is a primary requirement to start DMLT by paramedical council of MP, Bhopal and MP Medical Science University, Jabalapur for the college. Our institution **Shrimant Madhavrao Scindia Govt. Model Science College, Gwalior (MP)** seeks permission letter of yourself/ MoU with your esteemed hospital to start DMLT and other related courses under Department of Paramedical Sciences in our institution.

Therefore, it is requested kindly provide a permission letter of yourself / MoU with your esteemed hospital with our lead college of Gwalior district for the welfare of the students, institution and society. With thanks and regards

Truly yours



Dr. Garima Sharma
Dy.Coordinator(DMLT)



Dr. Anish C Pandey
HOD/Coordinator
(DMLT, BMLT, MLT Etc.)




Dr. Bhanu Pratap S Jadon
Principal


Copy to;

1. The Commissioner, MPHE, Bhopal
2. The Registrar, MPMSU, Jabalpur
3. The Registrar, Paramedical Council, Platinum Plaza, Bhopal


Dr. Garima Sharma
Dy.Coordinator(DMLT)


Dr. Anish C Pandey
HOD/Coordinator
(DMLT, BMLT, MLT Etc.)


Dr. Bhanu Pratap S Jadon
Principal




प्रति,

प्राचार्य

श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय
झांसी रोड़, ग्वालियर

विषय:- डी.एम.एल.टी. में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण बावत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/क्यू-011 दिनांक 24.02.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि प्राचार्यश्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, झांसी रोड़, ग्वालियर संस्था में अध्ययनरत डी.एम.एल.टी. के छात्र/छात्राओं को जिला चिकित्सालय मुरार में वर्ष 2021-22 में निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

1. क्लीनिकल एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के पूर्व संस्था प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
2. छात्र/छात्रायें अपने निर्धारित गणवेश में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगी।
3. प्रशिक्षण के दौरान महाविद्यालय के इन्स्ट्रक्टर का छात्र/छात्राओं के साथ पूर्ण समय रहना अनिवार्य होगा।
4. राज्य पेरामेडीकल काउंसिल मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं प्रशिक्षण शुल्क रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष की अनुमति उपरांत आर.के.एस. द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. यह अनुमति वर्ष 2021-22 की अवधि के लिये होगी।
6. प्रदत्त की जा रही अनुमति किसी भी समय निरस्त करने अथवा अनुमति की अवधि कम करने का अधिकार कार्यालय का रहेगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण हेतु भेजी जाने वाली छात्र/छात्राओं के संख्या की जानकारी प्रशिक्षण दिनांक से 15 दिवस पूर्व इस कार्यालय एवं संबधित चिकित्सालय के प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियत अवधि के पूर्व कार्यक्रम प्राप्त न होने पर प्रशिक्षण रथगित करने का अधिकार प्रभारी चिकित्साधिकारी का रहेगा।
8. प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय की सुविधा के अनुरूप आवंटित समय पर संस्था द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण कराया जाना होगा।
9. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा कदाचरण करने पर उसे शेष प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जावेगा।
10. रजिस्ट्रार राज्य पेरामेडीकल काउंसिल मध्यप्रदेश के मापदण्ड/पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रायोगिक प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 25/02/2022

क्रमांक / स्था. / 2022 / 45/01

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
2. रजिस्ट्रार राज्य पेरामेडीकल काउंसिल मध्यप्रदेश, प्लेटीनम प्लाजा, भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ग्वालियर
ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर

क्रं./...../2021-22/ Q 1-3

e-mail :- csgwalior1@gmail.com Ph. : 0751-2461574

दिनांक 26/2/22

प्रति,

प्राचार्य
श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय
झांसीरोड़ ग्वालियर म0प्र0

विषय :- डी.एम.एल.टी. में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर का पत्र क्रं./स्था./2022/क्यू/01/ ग्वालियर दिनांक 25.02.2022

उपरोक्त विषय में लेख है कि सदरित पत्रानुसार श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय महाविद्यालय झांसीरोड़ ग्वालियर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना है छात्र/छात्राओं को जिला चिकित्सालय ग्वालियर में प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार चिकित्सक एवं लेब टेक्नीशियन को नामांकित किया जाता है।

क्रं.	प्रशिक्षण अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रजिस्ट्रेशन नम्बर	पद स्थापना	मोबाइल नम्बर
1	डॉ० हरेन्द्र सिंह एम.डी. पैथोलॉजी	एम.पी. 9114	जि.चि.मुरार ग्वालियर	9977664494
2	श्री रविन्द्र सिंह यादव डी.एम.एल.टी.		तदैव	8823078605

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 26/2/22

क्रं./प्रशि./2022/ Q 1-3

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ -

1. संचालक, चिकित्सा सेवाएं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल म0प्र0
2. रजिस्ट्रार राज्य पेरामेडीकल काउंसिल मध्यप्रदेश, प्लेटीनम प्लाजा भोपाल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला ग्वालियर
जिला ग्वालियर (प. प्र.)